Note to Foreign Universities regarding Barbarities Committed on Intellectuals of Bangla Desh

5908. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have sent any note to different Universities of the World for drawing their attention to the barbarities committed on intellectuals of Bangla Desh ; and

(b) if not, whether any such step is proposed to be undertaken by Government ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b). Indian thinkers and writers have already circulated their "Appeal to the Conscience of the World on the Agony of Bangla Desh" to the universities of the world drawing their attention to the barbarities committed on the intellectuals in East Bengal. In view of this Government do not propose to send a note to universities of the world.

विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

5909. डा० लक्ष्मी नारायण पांडे : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 जून को रतलाम में हुई अपनी प्रेस कान्फ्रेन्स में उन्होंने यह कहा था कि सरकार का प्रस्ताव निकट भविष्य में विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). यह बताया गया था कि सरकार विदेशी कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में विचार करेगी । यद्यपि विदेशी तेल कम्पनियों की परिष्करणशालाओं तथा अन्य संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी, परिष्करणशालाओं के समझौतों का पुनरीक्षण करने के लिए अन्य वैकल्पिक तरीकों के साथ वर्तमान स्थिति की सरकार विस्तृत रूप में जांच कर रही है ।

बिहार में आवास योजनाओं के लिये आवंटित धनराशि

5910. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य को आवास योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि दी गई ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आइ० के० गुजराल) : निर्माण और आवास मन्त्रालय की सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 1968-69 तक बिहार सरकार ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 958.93 लाख रुपये की राशि ली थी । चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के आरम्भ से, अर्थात 1969-70 के वर्ष से, राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिए (आवास सहित) सब मिलाकर खंड ऋणों और खंड अनुदानों के रूप में दी जाती है । अतः 1969-70 के वर्ष से राज्य सरकारों द्वारा (बिहार सहित) आवास योजनाओं के लिये प्रयुक्त की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता की राशि उपलब्ध नहीं है ।

केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार को सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 1970-71 के वर्ष के अन्त तक, इस मन्त्रालय के माध्यम से, भारत के जीवन बीमा निगम ने कुल 707.02 लाख रुपये के ऋण भी दिये हैं ।

Black Marketing in Blood in Delhi

5911. SHRI BALATHANDAYUTHAM :

SHRI RAMAVATAR SHASTRI :
SHRI R. R. SINGH DEO :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether Delhi has a flourishing black market in blood ;

(b) whether the blood shops masquerading under the respectable title of "blood banks" from the core of the blood trade in the Capital ;

(c) whether these blood shops receive blood at the rate of Rs. 3.50 to Rs. 4 per unit and sell it for a price ranging between Rs. 65 and Rs. 200 ; and

(d) if so, the steps Government have taken to put a stop to black-marketing in blood in the capital ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI D. P. CHATTOPADHYAYA) : (a) Government's attention has been drawn to a news-item on this subject.

(b) The major hospitals in Delhi have their own blood banks. According to information furnished by the Delhi Administration there are two blood-banks run by private doctors in Delhi.

(c) As far as is known, the private blood banks pay Rs. 20/- per unit of blood of 300 mls. on an average. In case of an RH negative Blood donor, it may be upto Rs. 100/- per unit. They charge Rs. 30/- from poor patients, Rs. 45/- from General Ward patients of Hospitals and Rs. 65/- from Nursing Homes.

(d) Under the Drugs and Cosmetics Acts and rules thereunder, there is no provision to control the prices charged by private institutions.

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र

5912. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में 370 सामुदायिक विकास खण्ड ऐसे हैं जहां प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र भी स्थापित नहीं किये गये हैं और 417 खण्ड ऐसे हैं जहां किसी डाक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई अथवा भविष्य में करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार 301 ब्लाक ऐसे हैं जिनमें अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने हैं और 203 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी सामुदायिक विकास खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के कार्य को पूरा करने का विचार है जो विकास खंड मलेरिया — रख रखाव चरण में पहुंच चुके हैं उनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के बारे में प्राथमिकता दी जायेगी । वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा नये खोले जाने वाले केन्द्रों का खर्च राज्य-सेक्टर के अन्तर्गत होगा । बेसिक स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ।

ग्राम क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं: —

(1) ग्राम तथा नगर-क्षेत्रों में कार्य करने वाले डाक्टरों का एक केडर बनाना ।

(2) ग्राम भत्ता यातायात सुविधाएं, सुसज्जित आवास, पेय जल तथा बिजली आदि की सुविधाओं की व्यवस्था के रूप में प्रोत्साहन देना ।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भौतिक सुविधाओं में सुधार करना विशेषतः भवनों तथा आवासीय क्वाटरों की सुविधाओं में सुधार करना ।

(4) ग्राम क्षेत्रों में सेवा करने के इच्छुक सेवा निवृत्त डाक्टरों की पुनः नियुक्तियां करना ।